



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30777

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2081/2026

रघुवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रामेंद्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेंद्र कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें जनवरी 1986 में वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके अनुसार, उनकी जन्मतिथि 01.12.1968 है, हालांकि, उन्हें 04.01.1966 को सेवानिवृत्त माना गया है। याचिकाकर्ता ने इससे पहले रिट-ए संख्या 19074/2025 (रघुवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर करके इस न्यायालय से संपर्क किया था, जिसका निपटारा 17.12.2025 को प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश देते हुए किया गया था और अब, दिनांक 29.01.2026 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया गया है।
3. इसी को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि वर्ष 2001 में अस्थि-निर्माण परीक्षण किया गया था, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता की आयु 13 वर्ष है। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 01.12.1968 है, न कि 04.01.1966।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दूसरी ओर यह प्रस्तुत किया है कि चाहे जो भी हो, जिस समय याचिकाकर्ता को कक्षा-आठवीं के प्रमाण पत्र और टी.सी. के आधार पर भर्ती किया गया था, उस समय उसकी जन्मतिथि 04.01.1966 थी और केवल अस्थि-निर्माण परीक्षण के आधार पर याचिकाकर्ता को जन्मतिथि में परिवर्तन करवाने का अधिकार नहीं मिल जाता, विशेषकर तब जब पूरी कार्यवाही याचिकाकर्ता के कहने पर उसकी सेवा/सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में शुरू की गई है।
6. मैंने बार में दिए गए सभी तर्कों को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता जन्मतिथि में 04.01.1966 से 01.12.1968 तक संशोधन की मांग कर रहा है। विवादित आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 04.01.1966 है, जैसा कि कक्षा VIII के प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र से स्पष्ट है। करियर के अंतिम चरण/सेवानिवृत्ति के समय जन्मतिथि में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम एस.एम. जाधव और अन्य, (2001) 4 एससीसी 52 में भी इसी मुद्दे पर विचार किया गया है।

8. विवादित आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज होने के कारण, जिस पर गंभीरता से आपत्ति नहीं जताई जा रही है, कोई ठोस आधार नहीं बनता है।

9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"